

766वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 जून 2024

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 766वैठक दिनांक 08/06/2024 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे :-

1. श्री राघवेंद्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. डॉ. ए. के. शर्मा, सदस्य ।
3. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
4. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. **Case No.P2/84/2024 Shri Devendra Shivhare, Partner, M/s RAJAY MINERALS, House Number- 4-1, Indira Nagar, Kabrai, District- Mahoba, Uttar Pradesh. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.00 ha. (2,00,000 cum per annum) (Khasra No. 589 (P)) Village- MAHOBA Tehsil- Gaurihar District Chhatarpur(M.P.) TOR- Refereed Back**

प्रस्तावित खदान का समिति की पूर्व 746वीं बैठक दिनांक 01/05/24 को टॉर की अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

सिया की 855वीं बैठक दिनांक 28/05/24 को "परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज के अनुसार प्रस्तावित खदान पहाड़ पर है जिसके समीप और भी पहाड़ हैं, इन पहाड़ों के मध्य एक तालाब स्थित है साथ ही खदान से 77 मी. पर आबादी, 10 मी. पर पक्का रोड़ परिलक्षित है । अतः उपरोक्त पर्यावरणीय संवेदनशीलता एवं खदान क्षेत्र के समीपस्थ स्थित रहवासियों की सुरक्षा के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक को प्रेषित किया जाये ।"

प्रकरण आज दिनांक 07/06/24 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें Shri Devendra Shivhare, Partner, M/s RAJAY MINERALS, House Number- 4-1, Indira Nagar, Kabrai, District- Mahoba, Uttar Pradesh एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. ऑनलाईन उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

766वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 जून 2024

प्रकरण का परीक्षण किया गया और समिति ने निम्न अतिरिक्त शर्तों के साथ पूर्व की 746वीं बैठक दिनांक 01/05/24 को टॉर की गई अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लेती है :-

1. प्रस्तावित खदान पहाड़ पर है और उसके समीप और भी पहाड़ है, इन पहाड़ों के मध्य एक तालाब स्थित है साथ ही खदान से 77 मी. पर आबादी, 10 मी. पर पक्का रोड़ परिलक्षित है, के संरक्षण हेतु योजना ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

2. Case No. P-2/85/2024 Shri Devendra Shivhare, Partner, M/s RAJAY MINERALS, House Number- 4-1, Indira Nagar, Kabrai, District- Mahoba, Uttar Pradesh. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.00 ha. (2,00,000 cum per annum) (Khasra No. 589 (P)) Village- MAHOBA Tehsil- Gaurihar District Chhatarpur (M.P.). TORRefereed Back

प्रस्तावित खदान का समिति की पूर्व 746वीं बैठक दिनांक 01/05/24 को टॉर की अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

सिया की 855वीं बैठक दिनांक 28/05/24 को "परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज के अनुसार प्रस्तावित खदान पहाड़ पर है जिसके समीप और भी पहाड़ है, इन पहाड़ों के मध्य एक तालाब स्थित है साथ ही खदान से 77 मी. पर आबादी, 10 मी. पर पक्का रोड़ परिलक्षित है । अतः उपरोक्त पर्यावरणीय संवेदनशीलता एवं खदान क्षेत्र के समीपस्थ स्थित रहवासियों की सुरक्षा के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक को प्रेषित किया जाये ।"

प्रकरण आज दिनांक 07/06/24 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक Shri Devendra Shivhare, Partner, M/s RAJAY MINERALS, House Number- 4-1, Indira Nagar, Kabrai, District- Mahoba, Uttar Pradesh एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. ऑनलाईन उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

प्रकरण का परीक्षण किया गया और समिति ने निम्न अतिरिक्त शर्तों के साथ पूर्व की 746वीं बैठक दिनांक 01/05/24 को टॉर हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लेती है :-

1. प्रस्तावित खदान पहाड़ पर है और उसके समीप और भी पहाड़ है, इन पहाड़ों के मध्य एक तालाब स्थित है साथ ही खदान से 77 मी. पर आबादी, 10 मी. पर पक्का रोड़ परिलक्षित है, के संरक्षण हेतु योजना ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

766वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 जून 2024

3. Case No. 9697/2023 Shri Surendra Singh S/O Veer Singh, H.No. 41, Ward no.3, in front of mandir, Gram & Post Chauka District- Chhatarpur (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.80 ha. (50,000 cum per annum) (Khasra No. 1247) Village- Chauka Tehsil- Chhatarpur , Distt.- Chhatarpur (M.P.) (EIA)

प्रस्तावित खदान का समिति की 747वीं बैठक दिनांक 28/05/24 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

सिया की 855वीं बैठक दिनांक 28/05/24 को परियोजना प्रस्तावक का नाम मेसर्स श्री कृष्णा यूनिवर्स, प्रो. श्री ब्रिजेन्द्र सिंह गौतम निवासी डी-48 ग्रीन ऐवेन्यू कालोनी, सताई रोड़ जिला छतरपुर म.प्र. द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 1,00,000 घनमीटर/वर्ष एवं रकबा 3.80 हे. अंकित है जबकि परियोजना प्रस्तावक का नाम श्री सुरेन्द्र सिंह आत्मज श्री वीर सिंह परिहार, निवासी 48 वार्ड नं.-3 मंदिर के सामने, ग्राम एवं पोस्ट चौका, छतरपुर म.प्र. उत्पादन क्षमता 50,000 घनमीटर/वर्ष एवं रकबा 2.80 हे. है ।

प्रायः यह देखा जा रहा है कि सेक द्वारा प्रकरणों की अधिकांश अनुशंसाओं में त्रुटियाँ हो रही हैं, जिसके कारण प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक विलंब हो रहा है, जिसे राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक) के संज्ञान में लाया जाना आवश्यक है ।

अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक को प्रेषित किया गया है, जिसे आज दिनांक 07/06/24 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेन्द्र सिंह (ऑनलाईन) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक का नाम श्री सुरेन्द्र सिंह आत्मज श्री वीर सिंह परिहार, हाऊस नं. 41 वार्ड नं.-3 मंदिर के सामने, ग्राम एवं पोस्ट चौका, छतरपुर म.प्र. उत्पादन क्षमता 50,000 घनमीटर/वर्ष एवं रकबा 2.80 हे. है की अनुशंसा की जाती है, शेष अन्य अनुशंसा एवं शर्तें यथावत रहेंगी ।

4. Case No. 9611/2023 M/s Maa Rewa Enterprises Shri DEEPAK AGRAWAL, Ward No. 11, Kasturva Ward, Teh Pipariya, Pipariya, Hoshangabad, M.P. Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 02.00 ha. (Stone 18,998.1 m³/Year) (Khasra No. 2/1/1 and 2/2) Gram Pipaliyagoli, Tehsil – Goharganj, Distt. Raisen (M.P.) B-1

766वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 जून 2024

प्रस्तावित खदान की समिति की पूर्व 747वीं बैठक दिनांक 02/05/24 को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

सिया की 855वीं बैठक दिनांक 28/05/24 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश-देशांश अनुसार गूगल इमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान के साथ 01 अन्य खदान (प्रकरण क्रमांक 7428/2020 रकबा 1.213हे.) ओवरलेप होना परिलक्षित हो रही है एवं प्रकरण डिया रि-एप्राइजल का तो नहीं है चूंकि प्रस्तावित खदान क्षेत्र पूर्व से खुदा हुआ है । अतः उपरोक्त संवदेनशीलता के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक को प्रेषित किया गया है ।

प्रकरण आज दिनांक 07/06/24 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री दीपक अग्रवाल, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ एनवायरमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा उत्तर प्रदेश उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

प्रस्तुतीकरण उपरांत समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :

- अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश-देशांश अनुसार गूगल इमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान के साथ 01 अन्य खदान (प्रकरण क्रमांक 7428/2020 रकबा 1.213हे.) ओवरलेप होना परिलक्षित हो रही है । अतः इस संबंध में खदान क्षेत्र के डीजीपीएस कॉर्डिनेट्स खनिज अधिकारी से प्रमाणित कर प्रस्तुत करें

5. Case No. P-2/525/24 Shri Ved Goel, R/o B.H. - 13, Deendayal Nagar Gwalior, District- Gwalior (M.P.) 474004. Prior Environment Clearance for Rafadpur Stone, Lease Area – 1.0 Ha., Khasra No. - 132, 133, Proposed Production Capacity – 19,000 Cum/Year. Village Rafadpur, Tehsil Dabra, District Gwalior (M.P.).

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 748वीं बैठक दिनांक 03/04/2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं स्टेडर्ड शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया:-

भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 07/06/2024 में निम्नानुसार निर्देशित कार्यवाही

”.....4. In view of the above direction of Hon’ble National Green Tribunal, It is hereby directed that continuance of Mining all over India under mining leases executed on the basis of Ecs granted by DEIAA after 13.09.2018 is prohibited with the exception in respect of cases

766वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 जून 2024

where Ecs granted by DEIAA for such mining leases have been reappraised and found valid by SEIAA or fresh Ecs have been granted by SEIAA.....”

आज दिनांक 08/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Ved Goel एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

उक्त प्रकरण में डिया कार्यालय जिला- ग्वालियर के पत्र क्रमांक 295 दिनांक 05/10/2018 के द्वारा स्टोन-30,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी। जो कि दिनांक 13/09/2018 के बाद की समयावधि व्यतीत होने के बाद की है।

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 08/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री रामराघव, ऑनलाईन मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

समिति ने उक्त प्रकरण को परीक्षण उपरान्त पाया कि यह प्रकरण डिया प्रकरण है जिसके सम्बन्ध पर परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार द्वारा यह बताया गया कि उक्त प्रकरण फॉर्म 1 में नवीन प्रकरण की श्रेणी में आवेदित किया गया है जिसके अनुसार यह प्रकरण रि-अप्रेजल का प्रकरण नहीं है। उक्त प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13-09-2018 के बाद की स्वीकृति है एवं हाल ही में भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 07-05-2024 में निर्देशित कार्यवाही के अनुसार ऐसे डिया प्रकरण जिनकी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13-09-2018 के बाद जारी की गयी है उन प्रकरणों के अन्तर्गत आ रही खदानों के कार्य को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त इन प्रकरणों की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए किस प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की जानी है यह भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्देशित कार्यवाही में स्पष्ट नहीं किया गया है अतः ऐसे प्रकरण जिनकी पर्यावरणीय स्वीकृति डिया द्वारा दिनांक 13-09-2018 के बाद जारी की गयी है उनके एप्रेजल के लिए एक सैद्धांतिक निर्णय लिया जावे ।

अतः समिति द्वारा इन प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रक्रिया एवं कार्यवाही हेतु सिया से मार्गदर्शन चाहा गया ।

6. **Case No. 9115/20222 AMIT DUBEY, Owner Chorawar stone quarry at Village - Chorawar, Tehsil - Basoda, District - Vidisha, State - Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 3-00 ha. (Crusher Stone – 7125 Cum/Year) (Khasra No. 47), Gram – Chorawar, Tehsil and Distt. Vidisha (M.P.) EIA.**

**766वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 जून 2024**

प्रस्तावित पत्थर खदान का समिति की 748वीं बैठक दिनांक 03/05/24 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

सिया की 855वीं बैठक दिनांक 28/05/24 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश-देशांश अनुसार गूगल इमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान 01 अन्य खदान (प्रकरण क्र. 6015/2019 रकबा 1.121 हे.) के साथ ओवरलेप होना परिलक्षित हो रही है। अतः उपरोक्त संवेदनशीलता के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक को प्रेषित किया गया है ।

प्रकरण आज सेक की 766वीं बैठक दिनांक 08/06/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक/उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

7. Case No. P-2/495 Shri RAKESH NAGAR, Owner, S/O, Ajad singh nagar 1925, rajendra nagar, huzur, Bhopal. Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 3.70 ha. (MURRUM QUARRY - 14,700Cum/Year) (Khasra No. 404), Village- Neelbad, Tehsil-Huzur, District - Bhopal, M.P. B-2

प्रस्तावित पत्थर खदान का समिति की 748वीं बैठक दिनांक 03/05/24 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

सिया की 855वीं बैठक दिनांक 28/05/24 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें (मो. शमीम अफजल एवं श्री महेश पाटीदार) को स्वीकृत है, जिसके अनुसार प्रस्तावित खदान को मिलाकर कुल रकबा 5.00 हे. से अधिक होता है जिस कारण प्रकरण बी-1 श्रेणी का प्रतीत होता है, जबकि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) भोपाल द्वारा अपने एकल प्रमाण-पत्र 33 दिनांक 05/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं होना बताया गया है । अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक को प्रेषित किया जाये ।

प्रकरण आज दिनांक 07/06/24 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री राकेश नागर ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्णचंद्र पांडा, ऑंसियो ऑनलाईन उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

समिति ने प्रकरण का परीक्षण किया और सिया की पृच्छा के संदर्भ में कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल से प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कार्यरत खदानों की जानकारी हेतु एडीएस जारी किया जाये ।

8. Case No. 11245/2024 Shri Satendra Singh, Junior Manager (OIC), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Boras Sand Quarry in an area of 2.023 ha. (24276 cum per year) (Khasra No. 735), Village-Bauras, Tehsil-Udaipura, District-Raisen (MP) [SIA/MP/MIN/473283/2024

प्रकरण समिति की 756वीं बैठक दिनांक 22/05/2024 को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी। सिया की 856-B वीं बैठक दिनांक 29/05/2024 को निम्न टीप के साथ प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये:-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से 830 मीटर की दूरी पर एक पक्का रोड ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार खदान क्षेत्र से पक्का रोड ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।"

प्रकरण को आज दिनांक 08/06/2024 को सेक समिति के समक्ष रखा गया जिसमें परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत व्यक्ति व उनके पर्यावरण सलाहकार में 0 कागजीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा. लि. नोएडा उपस्थित हुए। सेक समिति का मत है कि

परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्रिज, पुल, पुलिया, स्थाई एवं अस्थाई संरचना संबंधित विभाग/संस्था जो संरचना की देखरेख व रख-रखाव की जिम्मेदार है, अर्थात् संधारण किया जा रहा है, संबंधित से ब्रिज, पुल, पुलिया, स्थाई एवं अस्थाई संरचना की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये कितनी दूर तक अपस्ट्रीम एवं डाऊन स्ट्रीम में रेत खनन को प्रतिबंधित किया जावे, स्पष्ट अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् सिया को प्रस्तुत करेगा ।

सिया से अनुरोध है कि प्राप्त अभिमत के आधार पर निर्णय लिये जाने की अनुशंसा समिति द्वारा दी जाती है ।

9. Case No.11261/2024 Shri Sushil Pathak, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Banjari

766वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 जून 2024

Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (60000 cum per year) (Khasra No. 1165), Village-Banjari, Tehsil-Vijayraghavgarh, District-Katni (MP) [SIA/MP/MIN/472910/2024

प्रकरण समिति की 755वीं बैठक दिनांक 21/05/2024 को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी। सिया की 856-B वीं बैठक दिनांक 29/05/2024 को निम्न टीप के साथ प्रकरण पुनः परिक्षण हेतु SEACको अग्रेषित किया जायें:-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से 500 मीटर की दूरी पर एक पक्का रोड ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार खदान क्षेत्र से पक्का रोड ब्रिज से निर्धारित दूरी छोटने के पश्चात् खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।

प्रकरण को आज दिनांक 08/06/2024 को समिति के समक्ष रखा गया जिसमें परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत व्यक्ति व उनके पर्यावरण सलाहकार में 0 काग्नीजेस रिसर्च इंडिया प्रा. लि. नोएडा उपस्थित हुए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्रिज, रपटा, पुल, पुलिया, स्थाई एवं अस्थाई संरचना संबंधित विभाग/संस्था जो संरचना की देखरेख व रख-रखाव की जिम्मेदार है, अर्थात् संधारण किया जा रहा है, संबंधित से ब्रिज, पुल, पुलिया, स्थाई एवं अस्थाई संरचना की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये कितनी दूर तक अपस्ट्रीम एवं डाऊन स्ट्रीम में रेत खनन को प्रतिबंधित किया जावे, स्पष्ट अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् सिया को प्रस्तुत करेगा।

सिया से अनुरोध है कि प्राप्त अभिमत के आधार पर निर्णय लिये जाने की अनुशंसा समिति द्वारा दी जाती है।

10. Case No.10950/2023 Shri Ramesh Bhumarkar, OIC-Dy. Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Devri-Krishundas River Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (1200 cum per year) (Khasra No. 01, 12), Village-Devrikiashandash, Tehsil-Damoh, District-Damoh (MP) [SIA/MP/MIN/473545/2024

प्रकरण समिति की 755वीं बैठक दिनांक 21/05/2024 को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी। सिया की 856-B वीं बैठक दिनांक 29/05/2024 को निम्न टीप के साथ प्रकरण पुनः परिक्षण हेतु SEACको अग्रेषित किया जायें:-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र सेदक्षिण दिशा में लगभग 60 मी. की दूरी पर एवं खदान के बीच में स्थित रोड ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तनमंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020में दिये गये प्रावधान Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार खदान क्षेत्र से पक्का रोड ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।

प्रकरण को आज दिनांक 08/06/2024 को समिति के समक्ष रखा गया जिसमें परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत व्यक्ति व उनके पर्यावरण सलाहकार में 0 कागनीजेस रिसर्च इंडिया प्रा. लि. नोएडा उपस्थित हुए।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्रिज, पुल, पुलिया, स्थाई एवं अस्थायी संरचना संबंधित विभाग/संस्था जो संरचना की देखरेख व रख-रखाव की जिम्मेदार है, अर्थात् संधारण किया जा रहा है, संबंधित से ब्रिज, पुल, पुलिया, स्थाई एवं अस्थायी संरचना की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये कितनी दूर तक अपस्ट्रीम एवं डाऊनस्ट्रीम में रेत खनन को प्रतिबंधित किया जावे, स्पष्ट अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् सिया को प्रस्तुत करेगा।

766वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 जून 2024

सिया से अनुरोध है कि प्राप्त अभिमत के आधार पर निर्णय लिये जाने की अनुशंसा समिति द्वारा दी जाती है ।

11. Case No.11279/2024 Shri Sushil Pathak, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Shakrigarh Sand Quarry in an area of 3.00 ha. (54000 cum per year) (Khasra No. 103), Village-Sakrigarh, Tehsil-Badwara, District-Katni (MP) SIA/MP/MIN/472441/2024

प्रकरण समिति की 756वीं बैठक दिनांक 21/05/2024 को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी। सिया की 856-B वीं बैठक दिनांक 29/05/2024 को निम्न टीप के साथ प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये:-

सिया की 856वीं बैठक दिनांक 29/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से 700 मीटर की दूरी पर एक पक्का रोड ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार खदान क्षेत्र से पक्का रोड ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।

प्रकरण को आज दिनांक 08/06/2024 को समिति के समक्ष रखा गया जिसमें परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत व्यक्ति व उनके पर्यावरण सलाहकार में 0 काग्नीजेस रिसर्च इंडिया प्रा. लि. नोएडा उपस्थित हुए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्रिज, पुल, पुलिया, स्थाई एवं अस्थायी संरचना संबंधित विभाग/संस्था जो संरचना की देखरेख व रख-रखाव की जिम्मेदार है, अर्थात् संधारण किया जा रहा है, संबंधित से ब्रिज, पुल, पुलिया, स्थाई एवं अस्थायी संरचना की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये कितनी दूर तक अपस्ट्रीम एवं

766वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 जून 2024

डाऊनस्ट्रीम में रेत खनन को प्रतिबंधित किया जावे, स्पष्ट अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् सिया को प्रस्तुत करेगा।

सिया से अनुरोध है कि प्राप्त अभिमत के आधार पर निर्णय लिये जाने की अनुशंसा समिति द्वारा दी जाती है।

12. Case No. 10932/2023 Shri Dinesh Sharma, Manager (Account), R/o M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Badodiya (Rewas) Sand Quarry in an area of 6.00 ha. (3375 cum per year) (Khasra No. 136), Village-Badodiya, Tehsil-Jaora, District-Ratlam (MP) [SIA/MP/MIN/473991/2024

प्रकरण समिति की 757वीं बैठक दिनांक 24/05/2024 को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी। सिया की 856-B वीं बैठक दिनांक 29/05/2024 को निम्न टीप के साथ प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये:-

सिया की 856-B वीं बैठक दिनांक 29/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से लगभग 274 मी. की दूरी पर एक पक्का रोड ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार खदान क्षेत्र से पक्का रोड ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।

समिति ने चर्चा उपरांत पूर्व की 757वीं बैठक दिनांक 24/05/2024 को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा को यथावत रखती है। ब्रिज के संबंध में सिया अपने स्तर पर निर्णय लेवे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्रिज, पुल, पुलिया, स्थाई एवं अस्थाई संरचना संबंधित विभाग/संस्था जो संरचना की देखरेख व रख-रखाव की जिम्मेदार है, अर्थात् संधारण किया जा रहा है, संबंधित से ब्रिज, पुल, पुलिया, स्थाई एवं अस्थाई संरचना की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये कितनी दूर तक अपस्ट्रीम एवं डाऊनस्ट्रीम में रेत खनन को प्रतिबंधित किया जावे, स्पष्ट अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् सिया को प्रस्तुत करेगा।

सिया से अनुरोध है कि प्राप्त अभिमत के आधार पर निर्णय लिये जाने की अनुशंसा समिति द्वारा दी जाती है।

13. Case No. P2/312 PRAMOD SAXENA, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 7.000 Hectare, Khasra No.-766, 001, in Village - BALBEHRA UMARIYA, Tehsil - Jaithari, District - Anuppur (MP), Maximum Production - 126000 cum per annum

प्रकरण समिति की 759वीं बैठक दिनांक 28/05/2024 को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी। सिया की 857 वीं बैठक दिनांक 03/06/2024 को निम्न टीप के साथ प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये:-

सिया की 857वीं बैठक दिनांक 03/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से 200 मीटर की दूरी पर एक पक्का रोड ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार खदान क्षेत्र से पक्का रोड ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।

766वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 जून 2024

समिति ने चर्चा उपरांत पूर्व की 759वीं बैठक दिनांक 28/05/2024 को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा को यथावत रखती है। ब्रिज के संबंध में सिया अपने स्तर पर निर्णय लेवें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्रिज, पुल, पुलिया, स्थाई एवं अस्थाई संरचना संबंधित विभाग/संस्था जो संरचना की देखरेख व रख-रखाव की जिम्मेदार है, अर्थात् संधारण किया जा रहा है, संबंधित से ब्रिज, पुल, पुलिया, स्थाई एवं अस्थाई संरचना की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये कितनी दूर तक अपस्ट्रीम एवं डाऊनस्ट्रीम में रेत खनन को प्रतिबंधित किया जावे, स्पष्ट अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् सिया को प्रस्तुत करेगा।

सिया से अनुरोध है कि प्राप्त अभिमत के आधार पर निर्णय लिये जाने की अनुशंसा समिति द्वारा दी जाती है।

14. Case No. P2/412 SHASHI SINGH, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 5.000 Hectare, Khasra No.- 493, in Village - CHIRAHKALA , Tehsil - Gadarwara, District - Narsinghpur (MP), Maximum Production - 81000 cum per annum

प्रकरण समिति की 760वीं बैठक दिनांक 29/05/2024 को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी। सिया की 856-B वीं बैठक दिनांक 29/05/2024 को निम्न टीप के साथ प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये:-

सिया की 857 वीं बैठक दिनांक 03/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से 600 मीटर की दूरी पर एक पक्का रोड ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span

766वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 जून 2024

of such bridge on down-stream side" अनुसार खदान क्षेत्र से पक्का रोड ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।

प्रकरण को आज दिनांक 08/06/2024 को समिति के समक्ष रखा गया जिसमें परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत व्यक्ति व उनके पर्यावरण सलाहकार में 0 काग्नीजेस रिसर्च इंडिया प्रा. लि. नोएडा उपस्थित हुए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्रिज, पुल, पुलिया, स्थाई एवं अस्थाई संरचना संबंधित विभाग/संस्था जो संरचना की देखरेख व रख-रखाव की जिम्मेदार है, अर्थात् संधारण किया जा रहा है, संबंधित से ब्रिज, पुल, पुलिया, स्थाई एवं अस्थाई संरचना की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये कितनी दूर तक अपस्ट्रीम एवं डाऊनस्ट्रीम में रेत खनन को प्रतिबंधित किया जावे, स्पष्ट अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् सिया को प्रस्तुत करेगा।

सिया से अनुरोध है कि प्राप्त अभिमत के आधार पर निर्णय लिये जाने की अनुशंसा समिति द्वारा दी जाती है।

15. Case No.11218/2024 Smt. Annapurna Thakur, Lessee, R/o Near Church, Ganga Ashram, District-Sehore (MP)-466001 Prior Environment Clearance for Hasnabad Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (27930 cum per year) (Khasra No. 56/1), Village-Hasnabad, Tehsil-Sehore, District-Sehore (MP) [433608] (B2).

प्रस्तावित खदान समिति की 745वीं बैठक दिनांक 30/04/24 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी।

सिया की 845वीं बैठक दिनांक 27/05/24 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश-देशांश अनुसार गूगल इमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान से 85 मीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में मछली पालन फार्म स्थित है। माननीय एन.जी.टी. के ओए नं. 304/19 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है जिसके अनुसार निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक को प्रेषित किया जाये।

प्रकरण को समिति के समक्ष आज दिनांक 07/06/24 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्रीमति अन्नपूर्णा ठाकुर पत्नि श्री दिनेश ठाकुर, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर

766वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 जून 2024

सिंह यादव मेसर्स एसीरीज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा.लि. लखनऊउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

समिति ने प्रकरण के परीक्षण में पाया कि माननीय एन.जी.टी. के ओए नं. 304/19 में मछली पालन फार्म का उल्लेख नहीं होने कारण समिति अपनी पूर्व 745वीं बैठक दिनांक 30/04/24 को की गई अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लेती है ।

16. Case No.11210/2024 Shri Ramniwas Kushwah, Owner, R/o Near PENCHVALLEY SCHOOL, Tehsil-Parasia, District-Chhindwara (MP)-480441, Prior Environment Clearance for Sajkuhi Crusher Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (11970 cum per year) (Khasra No. 341/2, 341/3), Village-Sajkuhi, Tehsil-Tamia, District-Chhindwara (MP) [436101] [DEIAA] (B2)

प्रस्तावित खदान का 745वीं बैठक दिनांक 30/04/24 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

सिया की 845-B वीं बैठक दिनांक 27/05/24 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश-देशांश अनुसार गूगल इमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान से 100 मीटर की दूरी पर कच्चे घर एवं लीज क्षेत्र से लगी हुई कच्ची सड़क परिलक्षित है । माननीय एन.जी.टी. के ओए नं. 304/19 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है जिसके अनुसार कच्चे घरों से निर्धारित दूरी 200 मीटर छोड़ने के पश्चात् खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है । अतः उपरोक्त के दृष्टिगत नवीन ग्राम पंचायत का नवीन ठहराव प्रस्ताव प्राप्त कर व लीज क्षेत्र में स्थित पेड़ों के संबंध में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक को प्रेषित किया जाये ।

प्रकरण को समिति के समक्ष आज दिनांक 07/06/24 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री रामनिवास कुशवाहा, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, ऑनलाईन उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

प्रकरण का पुनः परीक्षण किया गया और पाया कि लीज क्षेत्र की दक्षिणी ओर कच्ची सड़क लगी हुई है एवं पूर्व दिशा में 100 मीटर पर आबादी परिलक्षित हो रही है, जिसके संरक्षण के परियोजना प्रस्तावक ने बातया कि आबादी से 100 मीटर का सेटबैक एवं कच्ची सड़क से 50 मीटर (सिया के 694वीं बैठक के कार्यवाही विवरण के बिंदु क्रमांक-4 में लिए गए नीतिगत निर्णय के अनुसार) सेटबैक छोड़ा जाना प्रस्तावित है, जिसमें 1.37 हे. नॉन माईनिंग क्षेत्र छोड़कर उसमें वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है । इसके पश्चात् खनन योग्य रकबा 0.63 हे. उपलब्ध होता है, के आधार पर समिति अपनी पूर्व की 745वीं बैठक दिनांक 30/04/24 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लेती है ।

766वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 जून 2024

17. Case No.11217/2024 Shri Deepak Solanki, Owner, R/o House No. 403, Ward No. 11, Bus Stand Ke Pass, Gram-Dhulkot, Tehsil-Nepanagar, District-Burhanpur (MP)-450331, Prior Environment Clearance for Itariya Stone Quarry in an area of 1.150 ha. (12000 cum per year) (Khasra No. 534), Village-Itariya, Tehsil-Nepanagar, District-Burhanpur (MP) [443976] (B2)

प्रस्तावित खदान का 745वीं बैठक दिनांक 30/04/24 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

सिया की 845-B वीं बैठक दिनांक 27/05/24 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश-देशांश अनुसार गूगल इमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान से 54 मीटर की दूरी पर आबादी परिलक्षित है एवं लीज क्षेत्र में कई पेड़ पलक्षित है, जिसके संबंध में सेक द्वारा अपने कार्यवाही विवरण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है । साथ ही आवेदन के साथ संलग्न ग्राम पंचायत अनापत्ति भी काफी पुरानी है । माननीय एन.जी.टी. के ओए नं. 304/19 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय हैं जिसके अनुसार मकानों से निर्धारित दूरी 200 मीटर छोड़ने के पश्चात् खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है । अतः उपरोक्त के दृष्टिगत नवीन ग्राम पंचायत का नवीन ठहराव प्रस्ताव प्राप्त कर व लीज क्षेत्र में स्थित पेड़ों के संबंध में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक को प्रेषित किया जाये ।

प्रकरण को समिति के समक्ष आज दिनांक 07/06/24 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार रश्मी सारस्वत, मेसर्स जेनिथ एनवायरमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा उत्तरप्रदेश उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

प्रस्तुतीकरण उपरांत समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :

- ग्राम पंचायत का नवीन ठहराव प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।
- मकानों से निर्धारित दूरी 200 मीटर छोड़ने के पश्चात् खनन योग्य क्षेत्र की उपलब्धता प्रस्तुत करें ।
- लीज क्षेत्र में स्थित पेड़ों के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करें ।

18. Case No.11206/2024 Shri Ashu Khan, Owner, R/o Akbar Colony, Town-Khamera, Tehsil-Silwani, District-Raisen (MP)-464551 Prior Environment Clearance for Khamera Crusher Stone Quarry in an area of 1.619 ha. (13775 cum per year) (Khasra No. 30/8, 30/9/2), Village-Khamera, Tehsil-Silwani, District-Raisen (MP) [450633] (B2), DEIAA Case.

766वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 जून 2024

प्रस्तावित खदान का 745वीं बैठक दिनांक 30/04/24 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

सिया की 845-B वीं बैठक दिनांक 27/05/24 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश-देशांश अनुसार गूगल इमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान डिया से स्वीकृत थी जिमसे लीज क्षेत्र में खुदाई न करते हुए लीज क्षेत्र के बाहर खुदाई परिलक्षित हो रही है, जिसके संबंध में सेक द्वारा अपने कार्यवाही विवरण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है । अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक को प्रेषित किया जाये ।

प्रकरण आज सेक की 766वीं बैठक दिनांक 08/06/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

19. Case No.11211/2024 1 (a) Smt. Nandini Puloriya W/o Vikas Puloriya, Owner, R/o 07, Pahadsingpura, Haveli Path, District-Khargone (MP)-451001 Prior Environment Clearance for Rangaon Crusher Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (17100 cum per year) (Khasra No. 15), Village-Rangaon, Tehsil-Khargone, District-Khargone (MP) [453646] [DEIAA] (B2)

प्रस्तावित खदान का 745वीं बैठक दिनांक 30/04/24 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

सिया की 845-B वीं बैठक दिनांक 27/05/24 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश-देशांश अनुसार गूगल इमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान डिया से स्वीकृत थी जिमसे लीज क्षेत्र के बाहर 0.75 हे. में अवैध उत्खनन परिलक्षित जो रहा है, जिसके संबंध में सेक द्वारा अपने कार्यवाही विवरण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है । अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक को प्रेषित किया जाये ।

प्रकरण आज सेक की 766वीं बैठक दिनांक 08/06/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

20. Case No.11197/2024 Shri Roop Kachchhal, Owner, R/o Bass Gadi Kuw, District-Nagaur (R.J)-341001, Prior Environment Clearance for Fusariya Stone for M-Sand

766वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 जून 2024

Quarry in an area of 4.00 ha. (30000 cum per year) (Khasra No. 1248), Village-Fusariya, Tehsil-Singoli, District-Neemuch (MP) [453823] (TOR)

प्रस्तावित खदान का समिति की 744वीं बैठक दिनांक 29/04/24 को टॉर की अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी।

सिया की 854वीं बैठक दिनांक 27/05/24 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश-देशांश अनुसार गूगल इमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान से 20 मीटर की दूरी पर एक पक्की सड़क परिलक्षित हो रहा है एवं प्रकरण में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है। माननीय एन.जी.टी. के ओए नं. 304/19 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है जिसके अनुसार निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक को प्रेषित किया जाये।

प्रकरण आज सेक की 766वीं बैठक दिनांक 08/06/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा।

21. Case No.11222/2024 Shri Arvind Kumar, Partner, R/o House No. 3/777, Vastu Khand-3, Gomti Nagar, District-Lucknow (UP)-226010, Prior Environment Clearance for Sunarstone Mine in an area of 17.93 ha. (142500 cum per year) (Khasra No. 219), Village-Suna, Tehsil-Datia, District-Datia (MP) [449747] [DEIAA] (TOR)

सेककी 745वीं बैठक दिनांक 30.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी.) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना अनुसार यह प्रकरण ग्रेनाइट खदान का है, जिसे सेक के कार्यवाही विवरण में संशोधित किया जाये एवं प्रकरण में ऑनलाईन अपलोडेड ग्राम पंचायत ठहराव प्रस्ताव काफी पुराना है जिसे अद्यतन करवा परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपलोड कराया जाये एवं लीज क्षेत्र में परिलक्षित पेड़ों के संबंध में SEAC द्वारा अपने कार्यवाही विवरण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण में नवीन ग्राम पंचायत का नवीन ठहराव प्रस्ताव प्राप्त कर व लीज क्षेत्र में स्थित पेड़ों के संबंध में स्पष्ट जानकारी हेतु प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।

766वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 जून 2024

आज दिनांक 08/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री अरविन्द कुमार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. ऑनलाईन उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुती करण किया गया।

प्रकरण का परीक्षण किया गया और समिति ने निम्न अतिरिक्त शर्तों के साथ पूर्व की 745वीं बैठक दिनांक 30.04.2024 को टॉर हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लेती है :-

1. परियोजना प्रस्तावक ग्रामसभा से नवीन ठहराव प्रस्ताव प्राप्त कर ईआईए रिपोर्ट साथ प्रस्तुत करें ।
2. परियोजना प्रस्तावक लीज क्षेत्र में स्थित पेड़ों की इवेंट्री ईआईए रिपोर्ट साथ प्रस्तुत करें ।

समिति द्वारा बहुत विस्तृत अध्ययन विचार विमर्श के पश्चात् स्टेण्डर्ड टॉर तैयार किये गये हैं। उक्त स्टेण्डर्ड टॉर में सभी पर्यावरणीय संवेदशीलता का पूर्व में ही समावेश किया जा चुका है।

आपके द्वारा जिन बिन्दुओं को उठाया गया है उनका भी समावेश किसी न किसी तकनीकी शब्दावलियों के माध्यम से पूर्व में ही उल्लेखित किया जा चुका है।

22. Case No 11185/2024 Shri Ram Singh, Lease Owner, R/o 46, Shivaji Nagar, Thatipur, R.K. Puri, District-Gwalior (MP)-474011, Prior Environment Clearance for Parsen Stone Mine in an area of 3.345 ha. (50000 cum per year) (Khasra No. 4154), Village-Parsain, Tehsil-Gird, District-Gwalior (MP) [453371] [DEIAA] (TOR)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 744वीं बैठक दिनांक 29.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 07.05.2024 में निम्नानुसार निर्देशित कार्यवाही

".....4. In view of the above direction of Hon'ble National Green Tribunal, it is hereby directed that continuance of mining all over India under mining leases executed on the basis of ECs granted by DEIAA after 13.09.2018 is prohibited with the exception in respect of cases where ECs granted by DEIAA for such mining leases have been reappraised and found valid by SEIAA or fresh ECs have been granted by SEIAA....."

के परिपालन में उक्त प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।

प्रकरण आज सेक की 766वीं बैठक दिनांक 08/06/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक/उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। समिति ने

766वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 जून 2024

चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात् प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

23. Case No.11322/2024 M/s Mahalaxmi Mines and Minerals, Partner shri Tilak Raj Grover, R/o Ward No. 04, Khalwara Bajar, Kymore, Tehsil Vijayraghavgarh, District Katni (MP) - 483880, Prior Environment Clearance for Jajagarh Stone Quarry in an area of 1.30 ha. (22739 cum per year) (Khasra No. 2/1 & 2/2P), Village- Jajagarh, Tehsil-Barhi, District-Katni (MP) [442313]

प्रस्तावित खदान का 745वीं बैठक दिनांक 30/04/24 को टॉर जारी करने की अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

सिया की 845-B वीं बैठक दिनांक 27/05/24 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश-देशांश अनुसार गूगल इमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान से 22 मीटर की दूरी पर एक पक्की सड़क परिलक्षित हो रहा है एवं प्रकरण में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है । माननीय एन. जी.टी. के ओए नं. 304/19 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है जिसके अनुसार निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है । अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक को प्रेषित किया जाये ।

प्रकरण आज सेक की 766वीं बैठक दिनांक 08/06/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक/उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात् प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

24. Case No. P2/1019/24 YODHA UMARE Mining Corporation Bhopal OIC-MPSMCL(कनिष्ठ प्रबंधकसंभागीय कार्यालय जबलपुर(Prior Environment Clearance for Chhiwalhawa Sand Quarry, area of 4.8 ha. khasra No. 303, Production 80,000 cum/year at village Chhiwalhawa, Tehsil Chitrangi, District Singrauli. (MP) (Fresh B2)

प्रस्तावित रेत खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 08/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री योद्धासिंह उमरे, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संतोष खंताल, ऑनलाईन मेसर्स क्विंटिव ईन्वायरो सर्विसेस भोपाल से ऑनलाईन उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

766वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 जून 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Chhiwalhawa Sand Quarry in an area of 4.80 ha. (79,950 cum per year) (Khasra No. 01), Village- Chhiwalhawa, Tehsil-Chitrangi, District- Singrauli (M.P.).	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	01 (शासकीय – भूमि)	4.80 hectare.
स्थल	Village- Chhiwalhawa, Tehsil-Chitrangi, District- Singrauli (M.P.)	
लीज स्वीकृति	पत्र क्रमांक रेत/सिंगरौली/2023/1289 दिनांक 08/01/2024 द्वारा स्वीकृत ।	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान सोन नदी पर स्थित है। जिसका आंशिक भाग पानी डूबी होने के कारण 2.135 हे क्षेत्रफल में गैर खनन क्षेत्र एवं 2.665 हे क्षेत्रफल में खनन कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है।	
डिया ई.सी. स्थिति	लागू नहीं।	
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	वर्ष- 07/06/2024, कुल क्षमता – 79,950 घनमीटर/वर्ष,	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
प्रकरण की स्थिति	बी- 2 ।	
कुल उत्पादन क्षमता	कुल क्षमता – 79,950 घनमीटर/वर्ष,	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2133/खनिज/रेत/एकल/2024 सिंगरौली दिनांक 07/06/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 4.80 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	

766वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 जून 2024

वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2133/खनिज/रेत/एकल/2024 सिंगरौली दिनांक 07/06/2024 के अनुसार प्रस्तावित खदान क्षेत्र से 10 किलोमीटर की दूरी में सोन घड़ियाल अभ्यारण सीधी (म.प्र.) एवं कैमूर वन्य जीव विहार, जिला मिर्जापुर (उ.प्र.) स्थित है। क्षेत्र संचालक संजय टाइगर रिजर्व सीधी के पत्र दिनांक 29/05/2024 अनुसार प्रस्तावित रेत खदान सोन घड़ियाल अभ्यारण के सेन्सेटिव जोन से 2.59 कि.मी दूर है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2133/खनिज/रेत/एकल/2024 सिंगरौली दिनांक 07/06/2024 के अनुसार प्रस्तावित खदान क्षेत्र से विद्यालय 500 मीटर की दूरी पर है। अन्य संस्थान 500 मीटर से अधिक दूर है। एवं वन सिमा 250 मीटर से अधिक दूरी पर है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत छिवलहवा जिला सिंगरौली ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 02 दिनांक 05/04/2020 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
ग्रामPESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	आवेदित लीज क्षेत्र में कोई पड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	नवम्बर, 2023 की गूगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के दोनों ओर 01 किलोमीटर तक कोई भी रोडब्रिज/डेम आदि स्थित नहीं है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	08/06/2024
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रास्तावक द्वारा बताया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली (म0प्र0) के पत्र क्रमांक/2134/खनिज/रेत/DSR/2024सिंगरौलीदिनांक 07/06/2024 कि अनुसार खनिज अधिकारी द्वारा उल्लेख किय गया है कि आगागी नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान को सम्मिलित किया जाएगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई गूगल ईमेज नवम्बर, 2023 के अनुसार खनन क्षेत्र के कुछ भाग जलमग्न है इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार द्वारा अद्यतन स्थिति के जियोटेग फोटोग्राम प्रस्तुत किये गये जिसमें लीज क्षेत्र जलमग्न नहीं है एवं रेत की पर्याप्त मात्रा परिलक्षित हो रही है। माईनिंग अधिकारी,

766वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 जून 2024

सिंगरौली द्वारा प्रस्तुत पत्र क्रमांक 2134 दिनांक 07/06/20.24 में दी गई जानकारी के अनुसार यह एक नवीन खदान है एवं जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित करने हेतु प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है एवं आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इसे सम्मिलित कर लिया जावेगा। माईनिंग प्लान के अनुसार खदान क्षेत्र 4.80 हे., उत्खनन हेतु गहराई 3.0 मी. एवं उत्खनन क्षमता 79950 घन मी./वर्ष है। खनिज अधिकारी के संदर्भित पत्र अनुसार खनन क्षेत्र 4.8 हे., गहराई 3.0 मी. के अनुसार उपलब्ध रेत गार्डलाईन के अनुसार 86400 घन मी. होती है। आवेदन 80000 घन मी. प्रतिवर्ष हेतु किया गया है। अतः माईनिंग प्लान के अनुसार रेत उत्खनन 79950 घन मी./वर्ष हेतु अनुशंसा की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -79950 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. सम्बन्धित जिला खनिज अधिकारी DSR के प्रारूप अनुसार सम्बन्धित आवश्यक जानकारी DSR में सम्मिलित कर SEIAA में प्रस्तुत करे।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाडी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
4. खनिज विभाग द्वारा LOIमें जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जायें।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
6. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे।
7. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।

766वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 जून 2024

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें ।

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 6.40 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.29 लाख प्रति वर्ष

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	1,57,650	-
1(b)	Water requirement- 1.273 KLD , Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.	45,828	-
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (350m in length × 6m in width)	45,828	20,000
PLANTATION SCHEME			
3.	a) Plantation Along River Bank @ Rs. 200/plant.	300 plants × 250 Rs=75,000/-	20,000
	b) Plants to be distributed in nearby villagers :@ Rs. 50/plant.	1400 plants × 50 Rs=70,000/-	
	c) Plantation Along the Approach Road @ Rs.300/plant	300 plants × 300 Rs=90,000/-	
4	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year.	-	40,000
5	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler).	10,000	2,000
6	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
7	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 30 Labors -30 × 500 × 2)	-	30,000
8	Provision of PPEs (Life saving jackets, Boat, helmets, safety shoes, safety glasses, safety belt, gloves etc) (For 10 workers -8X 1500) @ Rs. 1500/worker.	12,000	3,000
9	First Aid Box & Fire fighting equipments @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
10	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium ,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
11	Shelter rooms for labors (10*20 ft)=200 Square feet	1,00,000	5,000

766वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 जून 2024

12	Two dustbins & development of solid waste management system	5,040	2,000
13	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (1 Trucks × 500 × 2 times in a year)	-	1,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows : 1. One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2. 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) 3. Display Board at mine entrance.	17,000	-
15	Providing 1 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	3,000	-
TOTAL		6,40,518/-	1,29,000/-

2. CER Table

सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 6.00लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर मद से 3,00,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम छिवलहवा के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी। एवं 3,00,000 की राशी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रोगी कल्याण समिति के खाते स्वास्थ्य जांच के उपकरण हेतु जमा की जावेगी।	6,00,000/-

3. Plantation in other area.

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 5000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	वृक्षारोपणकेलिएनियतस्थान	पौधोंकीप्रजातियाँ	
1	नदीकेकिनारोंपरनदीतटसे1से5पंक्तियोंमेंस्थलउपलब्धताअनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुनएवंजामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ाएवंस्थानीयप्रजातियाँ	100 0

766वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 जून 2024

2	गांवकेपंचायतभवनआंगनवाड़ीकेंद्रएवंशासकीयविद्यालयमेंपौधे लगाएजाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयफलदारप्रजाति या	100 0
3	आसपासकेगांवोंमेंवितरित-(पौधेकीऊंचाईन्यूनतम1मीटर) कियाजाना	आम, हाइब्रिडबेर, आँवला, मुनगा, सीताफल, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयप्रजातियाँलगाई जाएगी	300 0
<p>✓ वृक्षोंकारोपणएवंवितरणप्रथमवर्षमेंपौधोंकारख- रखावस्वयं/ग्रामपंचायत/स्थानीयवनसमिति/स्थानीयपंजीकृतस्वयंसेवीसंस्था/सेल्फहेल्पग्रुप (SHG) केद्वाराखननअवधितककरायाजायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावितपरियोजनामेंकिसीभीपेड़कोकाटा/उखाड़ानहींजायेगा।</p> <p>✓ एकपंक्तिसेदूसरीपंक्तिमेंपौधेSTAGGRED (आड़े-तिरछे) लगायेजाएंगे।</p> <p>✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपणएवंरख-रखाव, मौकेपरस्थलकीउपलब्धताकेअनुसारकियाजायेगाएवंखदानक्षेत्रकेआसपासपौधरोपणहेतुजगहक्षेत्रमें/ग्रामीणस्कूल/पुलिसथाना /आंगनवाड़ीकेंद्र/तहसीलकार्यालय/अन्यशासकीयभूमि, विभागकीसहमतिपरपौधरोपणएवंरख - रखावकियाजावेगा। परिवहनमार्गयाअन्यस्थलोपरस्थानीयपरिस्थितियोंकेकारणपररोपणसंभवनहोनेकीस्थितिमेंनदीक्षेत्रसेलगेग्रामीणोंकोफलदार, बाँसपौधेप्रदायकियावेगेंतथानदीक्षेत्रसेलगेकृषकोंकोप्राथमिकतादीजावेगीतथापौधारोपणकीशर्तअनुसारसंख्याकीपूर्तीकीजासकेगी।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिंदु पर चर्चा –

766वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 जून 2024

1. **Case No P2/885/24 Shri Sanjay Singh, Village - Jaitpur, Jayant, Singrauli, Gopad Banas Sidhi (M.P.) - 486890, Prior Environment Clearance for BARGAWAN MURRUM QUARRY, 235/1/1, Lease Area - 2.00 ha., Capacity – 22,088 M3/Year. Khasra No. - 235/1/1 (Govt Waste Land), Village - Bargawan Tehsil - Deosar District - Singrauli (M.P.) Form 2, DEIAA to SEIA**

प्रकरण समिति की पूर्व की 761वीं बैठक दिनांक 30/05/2024 एवं 766वीं दिनांक 08/6/2024 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक/उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अतः स्पष्ट है कि परियोजना प्रस्तावक इस प्रोजेक्ट में रुचि नहीं ले रहे हैं, अतः प्रकरण को डिलिस्ट करने की अनुशंसा की जाती है।

2. **Case No. P2/838/2024 Smt. Gauri Sonwani, Ward No.6, Jamuniya Tehsil & District-Dindori (MP) 481661. Prior Environment Clearance for Jamuniya Mal Stone Quarry of Maa Swa Sahayta Samuh is located at Khasra No. - 913, 863, Village-Jamuniya Mal, Tehsil- Dindori, Dist.- Dindori (M.P.). The 1.00 ha deposit area with capacity of Stone- 2,000 m3 per year. [MIN/457998/2023]**

प्रकरण में समिति की पूर्व 755वीं बैठक दिनांक 21/05/24 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी, जिसमें उत्पादन क्षमता—Basalt Stone – 90,000 m3/Year and Murrum – 12000 m3/Year त्रुटिवश उल्लेखित हो गया है, के स्थान पर पत्थर—2,000 घनमीटर/वर्ष पढ़ा जाये, शेष अन्य अनुशंसा एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

3. **Case No. P-2/92/2024 Shri ASHISH BAGRI, Partner, S/o Sushil Kumar, Gram Jakhi Post Sitpura Amdari, Satna, Madhya Pradesh- 485446. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.618 ha. (Stone-12,000 cum per annum, M-Sand-14,000 cum per annum) & Bolder 14.000 cum per annum) (Khasra No. 19/2/5, 19/2/6) Village Jhali, Tehsil Majhgawan District Satna (MP). B-2 case**

प्रकरण में समिति की पूर्व 746वीं बैठक दिनांक 01/05/24 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी, जिसमें उत्पादन क्षमता Stone-4500 cum per annum, M-Sand-5250 cum per annum & Bolder-5250 cum per annum त्रुटिवश उल्लेखित हो गया है, के स्थान पर Stone-12,000 cum per annum, M-Sand-14,000 cum per annum) & Bolder 14.000 cum per annum पढ़ा जाये, शेष अन्य अनुशंसा एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

4. **Case No. P2/870/24 Shri Chandrashekhar Dhruwey, Executive Engineer, office of Chief Engineer, Wainganga Basin, Water Resources Department, Seoni, Distt.- Seoni (M.P.) 480661 Prior Environment Clearance for Proposed Upper Burhner Project Near Devri Dadar Village, Multi purpose project with Irrigation and Hydro Power Generation Component. CCA- 23,300 ha., Power generation – 10 Mega Watt (MW), No. of Villages Affected- 19 No., NEAR DEVRI DADAR (V), BICHHIA TEHSIL, MANDLA DISTRICT Mandla (M.P.). SIA/MP/RIV/470450/2024. ToR.**

This is a River Valley projects presented in the SEAC 758th SEAC Meeting dated 27/05/2024 for TOR. Wherein after discussion the committee recommended the standard TOR.

This project involves Forest land which is mentioned in the project data details (on Parivesh Portal 2.0) that was produced in the MoM . But due to typographical error it was mentioned in the recommendation paragraph as follows:

*During presentation, PP submitted that **no forest land** is involved in this project. Committee after deliberations recommended to issue standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's:-*

It should be read as follows:

*During presentation, PP submitted that **forest land** is involved in this project. Committee after deliberations recommended to issue standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's:-*

All other TOR conditions shall remain same as mentioned SEAC 758th SEAC Meeting dated 27/05/2024 for TOR.

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

766वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 जून 2024

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.

766वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 जून 2024

16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation

766वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 08 जून 2024

road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
 37. **लीज क्षेत्र के अंदर में केवल केशर /एम-सेड प्लांट स्थित है, परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।**
 - खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
 - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
 38. **केशर अथवा एम सेड प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है ,परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।**
 - परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
 - खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
 - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
 39. **यदि आवंटित खनन पट्टा भू-स्वामी की सहमति /अनुबंध पर हो तो परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा।**
1. **क्षतिपूर्ति के संबंध में:-**
- म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
 - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15

766वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 08 जून 2024

प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting

766वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 जून 2024

Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.

18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Movable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - l. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poiclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.

766वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 जून 2024

- iv. The sand quarrying shall not be carried out below the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and casualty replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
 37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) “from the river.....bank” shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.
 38. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
 39. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

766वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 जून 2024

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.

766वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 जून 2024

20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.
 - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - r. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining

766वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 08 जून 2024

operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouring.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carried out every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.

766वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 जून 2024

3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.

766वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 जून 2024

25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carried out in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and discussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three years and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.

766वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 08 जून 2024

- ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मल्लिचंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिंग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जायें ।
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चैनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए ।

766वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 जून 2024

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फीट	03–05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फीट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियों आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना ।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट- 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियाँ ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट - 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट - प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियाँ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीट
3	चौथी से पाँचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों, लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।

766वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 जून 2024

- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे